न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा 337 /2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. पछाणाराम वल्द लच्छाराम, देवाराम, सुराराम पि. चैनाराम कलबी सा देह खातेदार। 2. भैराराम वल्द लच्छाराम कौम कलबी वगैरहा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

दिनांक :– 17.12.2021

आदेश

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–
राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में
तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक
10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल
सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते म रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते
के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **पनोतरी नाडी** में एक ग्रेवल सड़क /डामर
सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो की ग्राम **समारडी नाडी से टापरा** तक रास्ता वर्तमान में चल
रहा है। **ग्राम पनोतरी नाडी** के संलग्न परिशिष्ट अ में प्रस्तावित परिवर्तन खतौनी के अनुसार भूमि उक्त
रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल में किया गया है, उक्त कटान
रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प **भाखरी खेडा** में तहसीलदार पचपदरा ने मजमें आम में
जांच कर जाहिर किया गया कि रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम को जोडने वाली सड़क कटान रास्ता
तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित [illegible] दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की
आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के [illegible] सुविधा जनक यह रास्ता होगा।
चुंकि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)[illegible] दिनांक 10.8.2016 के द्वारा
राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी [illegible] सडक/ डामर सडक जो
राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित [illegible] को रास्ते के रूप में दर्ज करने के
निर्देश प्रदान किये गये है, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के [illegible] यथावत दर्ज रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:32:18 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर ग्रेवल रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते के लिए जोडने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर ग्राम में पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते को जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे है। ग्राम **समारडी नाडी से टापरा** के संलग्न परिशिष्ठ अ खतौनी के अनुसार भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदार के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को केम्प कोर्ट भाखरी खेडा में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:32:18 IST
Reason: SelfAttested